



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, सोमवार, 8 सितम्बर, 1975

भाद्रपद 17, 1897 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार

बिधायिका अनुभाग-1

संख्या 3138/सत्रह-वि-1--102-75

लखनऊ, 8 सितम्बर, 1975

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित कुमायूँ तथा गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) विधेयक, 1975 पर दिनांक 7 सितम्बर, 1975 को अनुमति प्रदान की और यह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 46, 1975 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनायें इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

कुमायूँ तथा गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) अधिनियम, 1975

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 46, 1975)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित हुआ)

मानव तथा पशु उपयोग, सिंचाई और औद्योगिक विकास के प्रयोजनार्थ जल के युक्ति संगत वितरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कुमायूँ तथा गढ़वाल डिवीजनों के पर्वतीय भू-भागों में जल स्रोत को लोक-हित में विनियमित तथा नियंत्रित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—(1) यह अधिनियम कुमायूँ तथा गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) अधिनियम, 1975 कहलायेगा।

संक्षिप्त नाम तथा
विस्तार

(2) इसका विस्तार नैनीताल जिले के काशीनुर भाबर, रद्रपुर तथा खडीमा सब-डिवीजनों और गढ़वाल डिवीजन के कोटद्वार भाबर क्षेत्र को छोड़कर सम्पूर्ण कुमायूँ तथा गढ़वाल डिवीजन में होगा।

परिभाषाएं

2—जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) 'संरक्षित क्षेत्र' का तात्पर्य धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन इस रूप में सीमांकित क्षेत्र से है;

(ख) 'विहित' का तात्पर्य इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है;

(ग) 'जल' का तात्पर्य नदी, प्राकृतिक जल प्रणाली से बहने वाला सोता, प्राकृतिक झील तथा तालाब या जलाशय के जल से है और इसके अन्तर्गत वर्षा-जल भी है;

(घ) "जल स्रोत" का तात्पर्य भूमिगत सोते से अपने आप निकलने वाले जल, जल प्रणाली तथा नदी, झील, तालाब, जलाशय और स्थिर जल के संग्रह से है जिसके अन्तर्गत वर्षा-जल भी है;

(ङ) "जल प्रणाली" का तात्पर्य मानव या पशु उपभोग, सिंचाई या उद्योग के जिसके अन्तर्गत पनचक्कियों को चलाना भी है, प्रयोजनार्थ जल ले जाने के लिए प्रयुक्त जल प्रणाली से है।

जल के उपभोग के अधिकार का समाप्त किया जाना

3—15 जुलाई, 1975 को और इस दिनांक से, जिन क्षेत्रों में इस अधिनियम का विस्तार हो उनमें जल के उपभोग के सभी वर्तमान अधिकार, (चाहे वे रुद्धिगत हों या अन्यथा और चाहे वे किसी व्यक्ति में निहित हों या ग्राम समुदाय में) यदि कोई हों, समाप्त हो जायेंगे।

जल तथा जल स्रोतों को विनियमित तथा नियंत्रित करने की राज्य सरकार की शक्ति

4—(1) राज्य सरकार को—

(क) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा जल तथा जल स्रोतों के संग्रह, संचय तथा वितरण को विनियमित तथा नियंत्रित करने;

(ख) इस अधिनियम के अधीन इस सम्बन्ध में बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए, जल स्रोतों के संरक्षण के लिए क्षेत्रों को सीमांकित करने और उन्हें संरक्षित क्षेत्र घोषित करने; और

(ग) खण्ड (ख) के अधीन की गई किसी घोषणा को संशोधित या रद्द करने, की शक्ति होगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते समय राज्य सरकार उन व्यक्तियों तथा ग्राम समुदायों को अधिमानता दे सकती है जिनके जल के उपभोग करने का अधिकार धारा 3 के अधीन समाप्त कर दिया गया हो।

जल-प्रणाली आदि का निर्माण करने की शक्ति

5—(1) राज्य सरकार को किसी व्यक्ति की या उसके द्वारा धृत भूमि में या उसके ऊपर या उसके बीच से किसी जल प्रणाली, तालाब या जलाशय का निर्माण करने, या कोई पम्पिंग मशीन बँटाने या कोई पाइप लाइन बिछाने की शक्ति होगी, किन्तु इससे यह नहीं समझा जायगा कि उसने ऐसी भूमि में उक्त प्रयोजन के लिए उपभोग के अधिकार से भिन्न कोई अधिकार अर्जित किया है।

(2) उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने में राज्य सरकार भूमि को यथासम्भव कम से कम क्षति पहुँचावेगी, और यदि उक्त धारा में निर्दिष्ट किसी कार्य के दौरान सम्पूर्ण भूमि या उसका भाग उस प्रयोजन के अनुपयुक्त हो जाय जिसके लिए उसका उपयोग उक्त कार्य प्रारम्भ करने के ठीक पूर्व किया जा रहा था तो भूमि में हितबद्ध व्यक्ति भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के उपबन्धों के अनुसार प्रतिकर को हकदार होंगे:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति की भूमि में या उसके बीच से कोई पाइप लाइन बिछाने या ले जाने के सम्बन्ध में कोई प्रतिकर देय न होगा, यदि ऐसी पाइप लाइन भूमि के सतह से दो फीट से कम नीचे न बिछाई गई हो:

अप्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि इन उपधारा की किसी धारा से यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी कार्यकलाप को तब तक प्रारम्भ किये जाने या जारी रखने का प्रतिश्रेय करती है जब तक कि इस उपधारा के अधीन प्रतिकर का भुगतान न कर दिया जाय।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रतिकर की धनराशि परगना अधिकारी द्वारा अवधारित की जायेगी।

(4) परगना अधिकारी के उपधारा (3) के अधीन प्रतिकर अवधारित करने वाले आदेश से व्यक्ति कोई पक्षकार ऐसे आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर जिला न्यायाधीश को अपील कर सकता है और जिला न्यायाधीश उसका निस्तारण स्वयं कर सकता है या उसे अपने प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन किसी अपर जिला न्यायाधीश को निस्तारण के लिए सौंप सकता है, और उसके किसी अधिकारी से वापस मांग सकता है या किसी ऐसे अधिकारी को अन्तर्गत कर सकता है, और ऐसी अपील पर दिया गया आदेश अंतिम होगा।

(5) उपधारा (4) में किसी बात के होते हुए भी, परगना अधिकारी द्वारा, उपधारा (3) के अधीन अवधारित किये गये प्रतिकर का भुगतान, अपील के परिणाम की प्रतीक्षा किये बिना, यथाशीघ्र किया जाएगा।

6--कोई भी व्यक्ति, जो उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अध्यादेश, 1975 के अधीन स्थापित कोई जल संस्थान न हो, परगना अधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी जल स्रोत से जल सम्भरण प्राप्त करने के आशय से किसी जल-प्रणाली, तालाब, जलाशय अथवा पत्तककी का न तो निर्माण करेगा, न निर्माण करायेगा, न कोई पंथग मशीन लगायेगा न बिछायेगा और न कोई पाइप लाइन बिछायेगा और न बिछायेगा।

निर्माण आदि पर
निबन्धन

7--कोई भी व्यक्ति, जो उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अध्यादेश, 1975 के अधीन स्थापित कोई जल संस्थान न हो, परगना अधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी संरक्षित क्षेत्र में किसी वृक्ष, झाड़ी, गुल्म को नहीं काटेगा या सूखी घास को नहीं जलायेगा।

संरक्षित क्षेत्र में
वृक्ष आदि कटने
के विरुद्ध प्रतिबंध

प्रतिबन्ध यह है कि किसी संरक्षित क्षेत्र में समाविष्ट किसी नाव भूमि के सम्बन्ध में, इस धारा के उपबन्ध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानों झाड़ियों और गुल्मों का अभिदेश निकाल दिया गया हो।

8--(1) कोई भी व्यक्ति धारा 6 में उल्लिखित वस्तुओं का निर्माण करने, उन्हें लगाने अथवा बिछाने को या धारा 7 में उल्लिखित कार्य करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए परगना अधिकारी को आवेदन कर सकता है।

अनुज्ञा देना

(2) उपधारा (1) के अन्तर्गत कोई आवेदन पत्र प्राप्त होने पर परगना अधिकारी जांच करेगा और वह जनहित में आवेदित अनुज्ञा दे सकता है अथवा उसे देने से इन्कार कर सकता है, और यदि इस प्रकार अनुज्ञा दी जाय तो परगना अधिकारी ऐसी शर्तें आरोपित कर सकता है जिन्हें वह न्यायसंगत या उचित समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन परगना अधिकारी का आदेश, धारा 11 के अधीन अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए, अंतिम होगा।

9--(1) धारा 8 के अधीन अथवा कुमार्चुं ब्राटर रुल्स, 1930 के अधीन दी गयी तथा धारा 18 के आधार पर प्रवर्तनशील किसी अनुज्ञा को परगना अधिकारी प्रतिसंभृत कर सकता है यदि सम्बद्ध व्यक्ति ऐसी अनुज्ञा को नियंत्रित करने वाली किसी शर्त को भंग करता है, अथवा इस अधिनियम पर इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन किसी उपबन्ध का अन्यथा उल्लंघन करता है।

अनुज्ञा या प्रति-
संहरण

(2) परगना अधिकारी द्वारा उप धारा (1) के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा, जब तक कि संबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर न दे दिया जाय।

(3) उपधारा (1) के अधीन परगना अधिकारी का प्रत्येक आदेश, धारा 11 के अधीन अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए अंतिम होगा।

10--(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्ध के उल्लंघन में किसी जल प्रणाली, तालाब, जलाशय या पत्तककी का निर्माण किया गया है, या किया जा रहा है, अथवा कोई पंथग मशीन लगाई गयी है या लगाई जा रही है, अथवा कोई पाइप लाइन बिछाई गयी है या बिछाई जा रही है तो परगना अधिकारी संबद्ध व्यक्ति को नोटिस देने और उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् आदेश द्वारा उससे यह अपेक्षा कर सकता है कि वह आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, यथास्थिति, उसे हटा दे या रोक दे या भूमि को उसकी पूर्व स्थिति में ला दे।

अप्राधिकृत कार्य
का हटाया जाना

(2) यदि कोई व्यक्ति जिसे उपधारा (1) के अधीन आदेश दिया जाता है उसका अनुपालन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर न करे तो परगना अधिकारी उस आदेश के अनुसार किसी कार्य को उस व्यक्ति के खर्च पर करा सकता है और ऐसे आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन परगना अधिकारी का प्रत्येक आदेश, धारा 11 के अधीन अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए, अंतिम होगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन किया गया कोई खर्च, परगना अधिकारी के प्रमाण-पत्र पर, उसमें उल्लिखित व्यक्ति से भू-राजस्व की वकाया के रूप में वसूली योग्य होगा।

अपील

11--धारा 8 या धारा 9 या धारा 10 के अधीन परगना अधिकारी के आदेश से व्यक्त कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर, कलेक्टर के सक्षम विहित रीति से अपील कर सकता है, और अपील पर कलेक्टर का आदेश अन्तिम होगा।

विभिन्न प्राधिकारियों की शक्ति और उनके द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया

12--(1) इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने या किसी विवाद का निपटारा करने या किसी अपील की सुनवाई करने के प्रयोजनार्थ परगना अधिकारी, कलेक्टर और जिला न्यायाधीश को निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में वैसी ही शक्तियां होंगी जैसी किसी वाद पर विचार करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात्--

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन करना तथा उसे हाजिर कराना और शपथ पर उसका बयान परीक्षण करना;

(ख) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(ग) कोई स्थानीय निरीक्षण करना, या साक्षियों का परीक्षण या स्थानीय अन्वेषण करने के लिए कमीशन जारी करना;

(घ) दस्तावेजों का पता लगाने तथा उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ङ) किसी पक्षकार को तदर्थ बनाये गये किसी नियम के अधीन रहते हुए खर्चा या विशेष खर्चा दिलाना या किसी पक्षकार से खर्चों के लिए प्रतिभूति देने की अपेक्षा करना;

(च) कोई विधिमान्य करार या समझौता अभिलिखित करना तथा उसके अनुसार कोई आदेश देना;

(छ) किसी त्रुटि के लिए कोई आवेदन-पत्र या अपील खारिज करना और पर्याप्त कारणों से उसे पर्यावर्तित करना;

(ज) किसी मामले को एक पक्षीय निर्णय करना तथा एक पक्षीय दिये गये किसी आदेश को, पर्याप्त कारणों से, अपास्त करना;

(झ) किसी आवेदन-पत्र, आपत्ति या अपील के ज्ञापन में संशोधन की अनुज्ञा देना;

(ञ) अस्थायी न्याय, प्रतिषेधात्मक तथा आज्ञापक, दोनों जारी करना;

(ट) किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाने की दशा में विधिक प्रतिनिधियों की प्रतिस्थापित करना;

(ठ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय।

(2) उपधारा (1) के उपबन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, परगना अधिकारी या कलेक्टर या जिला न्यायाधीश को न्याय के प्रयोजनार्थ या इस अधिनियम के अधीन अपने प्राधिकार के किसी आदेशिका के दुरुपयोग के निवारणार्थ कोई आदेश देने की शक्ति होगी।

परिसीमन अधिनियम 1963 का लागू होना शास्ति

13--परिसीमन अधिनियम, 1963, की धारा 4, 5 तथा 12 के उपबन्ध, जहां तक वे प्रयोज्य हों, इस अधिनियम के अधीन समस्त कार्यवाहियों पर लागू होंगे।

नगरपालिका बोर्डों और नोटिफाइड एरिया कमेटीयों के अधिकारों और शक्तियों के सम्बन्ध में अपवाद

14--यू० पी० स्पुनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 में यथा परिभाषित किसी नगरपालिका या नोटिफाइड एरिया या संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 में यथा परिभाषित किसी टाउन एरिया के सीमान्तर्गत इस अधिनियम के उपबन्ध निम्नलिखित परिष्कारों के अधीन रखते हुए प्रभावी होंगे, अर्थात्--

(क) धारा 6, 8 और 9 के उपबन्ध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानों शब्द "परगना अधिकारी" के स्थान पर शब्द "यथास्थिति, नगरपालिका बोर्ड, नोटिफाइड एरिया कमेटी या टाउन एरिया कमेटी या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी" रखे गये हों;

(ख) धारा 11 इस प्रकार प्रभावी होगी मानों शब्द "धारा 8 या धारा 9 या" निकाल दिये गये हों;

(ग) किसी जल स्रोत या जल प्रणाली पर, चाहे वह नगरपालिका या नोटिफाइड एरिया या टाउन एरिया की सीमा के भीतर या बाहर स्थित हो, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व नगरपालिका बोर्ड या नोटिफाइड एरिया कमेटी या टाउन एरिया कमेटी के कब्जे में हो, इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का प्रभाव नहीं पड़ेगा;

(घ) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् नगरपालिका बोर्ड या नोटिफाइड एरिया कमेटी या टाउन एरिया कमेटी को नगरपालिका या नोटिफाइड एरिया या टाउन एरिया की सीमा के बाहर किसी नये जल स्रोत या किसी नई जल प्रणाली की आवश्यकता हो, तो वह केवल राज्य सरकार की लिखित पूर्व अनुज्ञा से ही, ऐसे जलस्रोत से जल-सम्भरण प्राप्त कर सकती है या ऐसी सीमा के बाहर कोई ऐसी जल-प्रणाली, तालाब या जलाशय का निर्माण कर या करा सकती है या कोई पंपिंग मशीन बिठा या बिठा सकती है या कोई पाइप लाइन बिछा या बिछवा सकती है।

15--कोई व्यक्ति किसी जल स्रोत में रसायन, विस्फोटक द्रव्य या किसी ऐसे अन्य पदार्थ का प्रयोग नहीं करेगा जिससे मछली या अन्य जलीय प्राणी की क्षति पहुंचे या संभट हो जाय।

जल स्रोत में क्षतिकर पदार्थों के उपयोग का प्रतिषेध

16--राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, जो विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे व्यक्तियों या ऐसे व्यक्तियों के वर्ग के सम्बन्ध में या ऐसे वर्ग के तालाब या जलाशय या स्थिर जल के संग्रह के सम्बन्ध में जिसके अन्तर्गत वर्षा-जल भी है, जो विनिर्दिष्ट किया जाय, छूट दे सकती है, और राज्य सरकार पश्चात्पूर्वी अधिसूचना द्वारा किसी ऐसी छूट को वापस ले सकती है या उसमें कोई परिष्कार कर सकती है।

छूट देने की शक्ति

17--राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, जिन्हें वह विनिर्दिष्ट करे, उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अध्यादेश, 1975 के अधीन गठित निगम या जल संस्थान, या कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीत उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम नामक कंपनी को अपनी कोई शक्ति (धारा 21 के अधीन शक्ति को छोड़कर) प्रति-निहित कर सकती है।

प्रतिनिहित करने की शक्ति

18--(1) जो कोई, बिना उचित प्राधिकार के और स्वेच्छा से निम्नलिखित कोई कार्य करता है, अर्थात् :-

शास्तियों

(क) किसी भी जल स्रोत से प्राप्त जल सम्भरण में या ऐसे जल स्रोत में, या उसके माध्यम से या उसके ऊपर या उसकी नीचे से होने वाले जल-प्रवाह में कोई क्षति पहुंचाता है, परिवर्तन करता है, रुकावट या बाधा डालता है या ऐसे जल सम्भरण या उसके प्रवाह को बढ़ाता है या उसे कम करता है;

(ख) किसी जल प्रणाली, तालाब या जलाशय या किसी पंपिंग मशीन या पाइप लाइन से, उसके द्वारा उसके ऊपर या नीचे से होने वाले जल प्रवाह को, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पहले से विद्यमान हो या इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् राज्य सरकार या किसी नगरपालिका बोर्ड या टाउन-एरिया कमेटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी या जल संस्थान द्वारा या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा या परगना अधिकारी की अनुज्ञा से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निर्मित किया गया हो, बँटाया या बिछाया गया हो, हस्तक्षेप करता है या परिवर्तित करता है;

(ग) धारा 15 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है,

कारावास से जो एक वर्ष तक हो सकता है और जुर्माने से भी जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा ;

(2) जो कोई, इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य उपबन्ध या उसके अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करता है, जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा और यदि अपराध निरन्तर जारी रहे तो ऐसे अपराध के लिये प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिये जिसमें अपराध जारी रहे, पच्चीस रुपये से अनधिक का जुर्माना किया जायगा।

(3) उपधारा (1) और (2) के उपबन्ध उक्त उपधाराओं में निर्दिष्ट अपराधों के प्रवास या दुष्प्रेरण के सम्बन्ध में भी लागू होंगे।

(4) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय समस्त अपराध संज्ञेय होंगे।

19--(1) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो वह कम्पनी और अपराध को करने के समय उस कम्पनी का प्रभारी और उसके कार्य संचालन के लिए कम्पनी के प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के लिए अपराधी माना जायगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा :

कम्पनियों द्वारा अपराध

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात से कोई व्यक्ति किसी दण्ड का भागी नहीं होगा यदि वह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध के किये जाने के निवारण करने के लिए सभी सम्यक प्रयास किया था।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जबकि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह साबित हो जाय कि वह अपराध उस कम्पनी के किसी प्रबंध अधिकारी, सचिव और कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी के सम्मति या मौनानुमति से किया गया या अपेक्षाजनित है तो कम्पनी का ऐसा प्रबन्ध अधिकारी, सचिव और कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के लिए अपराधी माना जायेगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण--

इस धारा के प्रयोजनों के लिए--

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है, और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में, "निदेशक" का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

कार्य का संरक्षण

20--इस अधिनियम के अधीन किये जाने या दिये जाने के लिये तात्पर्यित किसी कार्यवाही या आदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी और इस अधिनियम के अधीन सद्भाव-पूर्वक की गयी या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई सिविल या आपराधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी।

नियम बनाने की शक्ति

21--(1) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जबकि उसका सत्र ही रहा हो, कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त, जो एक सत्र या एक से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकती है, रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाध का दिनांक नियत न किया जाय, सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियम के अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

कुमायूँ वाटर सप्लाय रूल्स, 1930, का जारी होना

22--कुमायूँ वाटर सप्लाय रूल्स, 1930, जहाँ तक वे इस अधिनियम के उपबन्ध से असंगत न हों, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समझे जायेंगे और वे तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक कि धारा 21 द्वारा प्रवृत्त या उसके अधीन शक्तियों का प्रयोग करके बनाये गये नियमों द्वारा उक्तों परिवर्तित या निरसित या संशोधित न कर दिया जाय।

निरसन तथा प्रवृत्त

23--(1) कुमायूँ तथा गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) अध्यादेश, 1975 एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या किया गया कोई कार्य इस अधिनियम के अधीन की गई बात या किया गया कार्य समझा जायेगा मानों वह अधिनियम 15 जुलाई, 1975 को प्रवृत्त हो गया था।

No. 3138/XVII-V-1-102-75

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Kumaun Tatha Garhwal Jal (Sangrah, Sanchaya Tatha Vitaran) Adhiniyam, 1975 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 46 of 1975), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on September 7, 1975 :

THE KUMAUN AND GARHWAL WATER (COLLECTION, RETENTION AND DISTRIBUTION) ACT, 1975

[U. P. ACT No. 46 of 1975]

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN
ACT

to regulate and control in the public interest the water sources in the hill-tracts of the Kumaun and Garhwal Divisions in order to ensure a rational distribution of water for the purposes of human and animal consumption, irrigation and industrial development.

It is HEREBY enacted in the Twenty-sixth Year of the Republic of India as follows :-

Short title and extent.

1. (1) This Act may be called the Kumaun and Garhwal Water (Collection, Retention and Distribution) Act, 1975.

39
अध्यादेश
15, 1975

(2) It extends to the whole of Kumaon and Garhwal Divisions except the Kashipur, Bhabar, Rudrapur and Khatima sub-division in the district of Naini Tal and Kotdwara Bhabar area of Garhwal Divisions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires—

Definitions.

(a) "protected area" means an area demarcated as such under clause (b) of sub-section (1) of section 4;

(b) "prescribed" means prescribed by this Act or by rules made under this Act;

(c) "water" means water of rivers, streams flowing in natural channels, natural lakes and ponds or reservoirs and includes rain water;

(d) "water sources" means natural oozing out of water from underground streams, channels and rivers, lakes, ponds, reservoirs and other collections of still water including rain water;

(e) "water channel" means a channel used for the communication of water for the purposes of human or animal consumption, irrigation or industry, including the running of water mills.

3. On and from the fifteenth day of July, 1975, all the existing rights (whether customary or otherwise and whether vested in any individual or in village communities) of use of water, if any, in the areas to which this Act extends, shall stand abolished.

Abolition of the right of the user of water.

4. (1) The State Government shall have the power—

(a) to regulate and control, by rules made under this Act, the collection, retention and distribution of water and water sources;

(b) subject to the rules, if any, made in this behalf under this Act, to demarcate areas for protection of water sources and to declare the same as protected area; and

(c) to amend or cancel any declaration made under clause (b).

Power of State Government to regulate and control water and water resources.

(2) The State Government may, while exercising powers under sub-section (1), give preference to the persons or village communities whose rights in respect of water have been abolished under section 3.

5. (1) The State Government shall have the power to construct any water-channel, tank or reservoir, or install any pumping machine or lay out any pipe line in, upon or through the land belonging to or held by any person, but it shall not thereby be deemed to have acquired any right in such land other than the right of user for the said purposes.

Power of the State Government to construct water channels etc.

(2) In exercise of the powers under sub-section (1), the State Government shall cause as little damage to the land as possible, and where during the course of any activity referred to in that sub-section, the whole or part of the land is rendered unfit for the purpose for which it was being used immediately before the commencement of such activity, the persons interested in the land shall be entitled to compensation in accordance with the provisions of the Land Acquisition Act, 1894 :

Provided that no compensation shall be payable in respect of mere laying out or passage of any pipe line in or through the land belonging to any person where such pipe line is laid not less than two feet below the surface of the land :

Provided further that nothing in this sub-section shall be construed to prevent any activity referred to in sub-section (1) being started or continued until payment of compensation under this sub-section.

(3) The amount of compensation referred to in sub-section (2) shall, be determined by the Sub-Divisional Officer.

(4) Any party aggrieved by the order of the Sub-Divisional Officer determining compensation under sub-section (3) may, within thirty days of the date of such order, prefer an appeal to the District Judge and the District Judge may either dispose of it himself or assign it for disposal to any Additional District Judge under his administrative control, and may recall it from any such officer, or transfer it to any such officer, and the order passed on such appeal shall be final.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (4), the compensation determined under sub-section (3) by the Sub-Divisional Officer shall be paid as soon as may be without waiting for the result of such appeal.

Restrictions on construction etc.

6. No person not being a Jal Sansthan constituted under the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Ordinance, 1975, shall construct or cause to be constructed any water-channel tank, reservoir or water-mill, or install or cause to be installed any pumping machine, or lay out or cause to be laid out any pipe line, intended for taking the supply of water from any water sources, without prior permission in writing of the Sub-Divisional Officer.

Prohibition of against cutting trees etc. in catchment area.

7. No person not being a Jal Sansthan constituted under the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Ordinance, 1975, shall cut any tree, bushes, shrubs, or burn dried grass in any protected area without prior permission in writing of the Sub-Divisional Officer.

Provided that in respect of any nap land comprised in or protected area, this section shall have effect as if references to bushes and shrubs were omitted.

Grant of permission.

8. (1) Any person may apply to the Sub-Divisional Officer for permission to construct, install or lay out any of the things mentioned in section 6 or to do an act mentioned in section 7.

(2) On receipt of an application under sub-section (1), the Sub-Divisional Officer shall make an enquiry and may in the public interest grant or refuse to grant the permission applied for, and where the permission is so granted, the officer may impose such conditions as it considers just and proper.

(3) The order of the Sub-Divisional Officer under sub-section (2) shall, subject to the result of an appeal under section 11, be final.

Revocation of permission.

9. (1) Any permission granted under section 8 or any permission granted under the Kumaun Water Rules, 1930 and continuing in force by virtue of section 18 may be revoked by the Sub-Divisional Officer, if the person concerned commits a breach of any of conditions governing such permission or otherwise contravenes any provision of this Act or the rules made thereunder.

(2) No order under sub-section (1) shall be made by the Sub-Divisional Officer, unless the person concerned has been given an opportunity of being heard.

(3) Every order of the Sub-Divisional Officer under sub-section (1) shall, subject to the result of an appeal under section 11, be final.

Removal of unauthorised act.

10. (1) If any water-channel, tank, reservoir or water-mill has been or is being constructed or any pumping machine has been or is being installed, or pipe line has been or is being laid in contravention of the provisions of this Act, the Sub-Divisional Officer may, after notice to the person concerned and after giving him an opportunity of being heard, by order require him to remove or stop the same or as the case may be, to restore the land to its original condition within a period specified in the order.

(2) If the order made under sub-section (1) is not complied with by the person to whom it is directed within the specified period, the Sub-Divisional Officer may get any work done in accordance with that order at the cost of that person and may also use or cause to be used such force as may be necessary for securing compliance with such order.

(3) Every order of the Sub-Divisional Officer under sub-section (1) or sub-section (2) shall, subject to the result of an appeal under section 11, be final.

(4) Any cost incurred under sub-section (2) shall on a certificate of the Sub-Divisional Officer be recoverable as arrears of land revenue from the person mentioned in the certificate.

Appeals.

11. Any person aggrieved by an order of the Sub-Divisional Officer under section 8 or section 9 or section 10 may file an appeal in the manner prescribed before the Collector within thirty days of the date of such order, and the order of the Collector on appeal shall be final.

Power of various authorities and procedure to be followed by them.

12. (1) The Sub-Divisional Officer, the Collector and District Judge shall for the purposes of holding any inquiry or determining any dispute or hearing any appeal under this Act, have the same powers as are vested in the Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908, while trying a suit, in respect of the following matter, namely:—

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) receiving evidence on affidavits;

(c) making any local inspection, or issuing commissions for the examination of witness or local investigation;

(d) requiring the discovery and production of documents;

(e) awarding, subject to any rules made in that behalf, costs or special costs to any party or requiring security for costs from any party;

(f) recording a lawful agreement, compromise and making an order in accordance therewith;

(g) dismissing an application or appeal for default and to restore it for sufficient cause;

(h) deciding a case *ex parte* and to set aside, for sufficient cause, an order passed *ex parte*;

(i) allowing amendments of any application, objection or memorandum of appeal;

(j) issuing temporary injunction, both prohibitory as well as mandatory;

(k) substituting legal representatives in case of the death of any party;

(l) any other matter which may be prescribed.

(2) Without prejudice to the provision of sub-section (1), the Sub-Divisional Officer or the Collector, or the District Judge as the case may be, shall have power to make any order for the ends of justice or to prevent the abuse of process of its or his authority under this Act.

13. The provisions of sections 4, 5 and 12 of the Limitation Act, 1963, in so far as may be applicable shall apply to all proceedings under this Act.

Application of Limitation Act, 1963.

14. Within the limits of a Municipality or Notified Area as defined in the U. P. Municipalities Act, 1916, or a town area as defined in the U. P. Town Areas Act, 1914 the provisions of this Act shall have effect subject to the following modifications, namely—

Savings in respect of rights and powers of Municipal Boards and Notified Area Committee.

(a) the provisions of sections 6, 8 and 9 shall have effect as if for the words "Sub-Divisional Officer" the Municipal Board, the Notified Area Committee or the Town Area Committee as the case may be, or an officer authorised by it in that behalf were *substituted*;

(b) section 11 shall have effect as if the words "section 8 or section 9 or" were *omitted*;

(c) any water sources or water channels, whether situated within the limits of the municipality, notified area or town area or outside, in the possession of the Municipal Board or Notified Area Committee or Town Area Committee immediately before the commencement of this Act shall not be affected by any provision of this Act;

(d) if after the commencement of this Act, the Municipal Board, the Notified Area Committee, the Lower Area Committee requires any new water sources or any new water channels outside the limits of the municipality, or notified area or town areas it may take supply of water from such water source or construct or cause to be constructed any such water channel, tank or reservoir or install or cause to be installed any pumping machine or layout or cause to be laid out any pipe line outside such limits only with the prior permission in writing of the State Government.

15. No person shall use in any water source chemicals, explosives or any other substance which may cause injury to or endanger any fish or other aquatic organisms.

Prohibition of use of injurious substances in water sources.

16. The State Government may by notification in the *Gazette* grant, subject to such conditions, if any, as may be specified, exemptions from all or any of the provisions of this Act in respect of such persons or class of persons or in respect of such class of ponds or reservoirs or other collections of still water (including rain water) as may be specified, and the State Government may by a subsequent notification withdraw or modify any such exemption.

Power of exemptions.

17. The State Government may by notification in the *Gazette* delegate, subject to such conditions, if any, as it may specify, any of its powers (except the power under section 21) to the Nigam or to a Jal Sansthan constituted under the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Ordinance, 1975, or to the Uttar Pradesh Parvatiya Vikas Nigam, Limited, a company registered under the Companies Act, 1956.

Power to delegate.

Penalties

18. (1) Whoever, without proper authority and voluntarily does any of the following acts, namely—

(a) damages, alters, obstructs or interferes with or increases or diminishes the supply of water in or the flow of water from, through, over or under any water source ;

(b) interferes with or alters the flow of water from, through, over or under any water channel, tank or reservoir or any pumping machine or pipe line, whether existing from before the commencement of this Act or constructed, installed or laid after the commencement of this Act, by the State Government or any municipal board or town area committee, notified area committee or Jal Sansthan or by any other public authority or with the permission of the Sub-Divisional Officer by any other person ;

(c) contravenes the provisions of section 15, shall be punishable with imprisonment which may extend to one year and shall also be punishable with fine which may extend to one thousand rupees ;

(2) Whoever contravenes any other provisions of this Act or any order made thereunder shall be punishable with fine which extend to five hundred rupees, and if the offence is a continuing offence, with a further fine not exceeding twenty-five rupees for every day during which the offence continues after the date of first conviction for such offence.

(3) Provisions of sub-sections (1) and (2) shall also apply in respect of any attempt or abetment of offence referred to in the said sub-sections.

(4) All offences punishable under sub-section (1) shall be cognizable.

Offences
companies.

by

19. (1) If the person committing an offence under this Act is a company, the company as well as every person in-charge of and responsible to the company for the conduct of its business at the time of the commission of the offence shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly :

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or that the commission of offence is attributable to any neglect on the part of any managing agent, secretaries, and treasurers, directors, managers or other officer of the company, such managing agents, secretaries and treasurers, director, manager or other officer of the company shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation—For the purposes of this section—

(a) "company" means any body corporate, and includes a firm or other association of individuals ; and

(b) "director" in relation to a firm, means a partner in the firm.

Protection
action.

of

20. No proceeding or order purporting to be taken or made under this Act shall be called in question in any court and no civil or criminal proceeding shall be instituted against any person for anything done or intended to be done in good faith under this Act.

Power to make
rules.

21. (1) The State Government may by notification in the *Gazette*, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) All rules made under this Act shall, as soon as may be after they are made, be laid before each House of the State Legislature while it is in session for a total period of thirty days comprised in its one session or more than one

successive sessions and shall unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the Official Gazette, subject to such modification or annulments as the two Houses of Legislature may during the said period agree to make, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

22. The Kumaun Water Rules, 1930, in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act, shall be deemed to have been made under this Act and they shall continue in force until they are altered or repealed or amended by rules made in exercise of the powers conferred by or under section 21.

Continuance of
Kumaun Water
Supply Rules,
1930.

U. P. Ordinance no. 18 of 1975. 23. (1) The Kumaun and Garhwal Water (Collection, Retention and Distribution) Ordinance, 1975 is hereby repealed.

Repeal and savings.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act as if this Act had come into force on July 15, 1975.

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव ।